कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	परिवाद पत्र क्रम संख्या 15/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
~~10.12.12~~ 1/1/13	यह परिवाद श्री सूयदेव राय, निवासी ग्राम– शहजादपुर, पो0– इसमाइलपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 17.08.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। प्रखण्ड हाजीपुर के ग्राम पंचायत इसमाइलपुर की मनरेगा योजना सं0 06/2007–08 रामचन्द्र प्रसाद इसमाइलपुर पोखर के नजदीक मुख्य नहर से शहजादपुर सीमान तक कच्चा नाला का निर्माण या उड़ाही कार्य नहीं कराया गया। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा राशि का निकासी कर गबन किया गया। योजना सं0– 69/2007–08 इसमाइलपुर पंचायत अन्तर्गत रामचन्द्र प्रसाद के घर से मनुऑ सीमान नहर उड़ाही कार्य नहीं कराया गया और रूपया निकासी कर गबन किया गया। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संदर्भ में दिनांक 17.08.13 को कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– हाजीपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। चूँकि कार्य योजना के लगभग पाँच वर्ष बीत चुके थे और अभिलेख संबंधी किसी प्रकार के कागजात उपलब्ध नहीं थे। अतएव कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– हाजीपुर से प्रतिवेदन की मांग करते हुए अनेक पत्र स्मारित भी किये गये। दिनांक 03.12.13 को कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जांच प्रतिवेदन में उन्होंने बताया है कि योजना सं0 06/2007–08 पंचायत से क्रियान्वित की गयी है एवं योजना सं0 69/2007–08 पंचायत समिति द्वारा क्रियान्वित की गयी है। योजना सं0 06/07–08 के कार्यस्थल पर रामचन्द्र प्रसाद के द्वारा व्यक्तिगत जमीन में पानी निकासी हेतु पक्का नाला का निर्माण किया हुआ है। उससे आगे शहजादपुर सीमान तक कहीं–कहीं पतले पानी निकासी हेतु नाला पाया गया। स्थानीय निवासी द्वारा बताया गया कि पूर्व में रामचन्द्र प्रसाद के घर से शहजादपुर सीमान तक कच्चा नाला था। जिसे लोगों ने घर बनाते समय मिट्टी से भर दिया। उन्होंने यह भी बताया है कि किसी ने भी कच्चे नाले के निर्माण की बात नही बतायी पर चूँकि मिट्टी का कार्य है जिसे पॉच वर्ष पूर्व कराया गया है तो आज इसकी जांच संभव नहीं है। योजना सं0 69/2007–08 से संबंधित कार्य स्थल रामचन्द्र प्रसाद के घर से मनुँआ सीमान नहर उड़ाही कार्य की जांच के क्रम में बताया गया है कि आज भी नहर वहॉ वर्तमान में है, पर वह मनुऑ सीमान तक नहीं छूती है। स्थानीय आम जनता तथा रामचन्द्र प्रसाद के घर वालों से पूछताछ के क्रम में पाया गया है कि पूर्व में नहर में कार्य किया गया था। चूँकि नहर के कार्य हुए पॉच से अधिक वर्ष बीत चुके है, ऐसे में उस समय कितना कार्य किया गया, यह बताना संभव नहीं है।	

दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। शिकायतकर्त्ता भी कार्य स्थल पर कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर के साथ जांच के क्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर ने अपने कथन के समर्थन में योजनाओं से संबंधित कार्य स्थल की एक आरेख भी प्रस्तुत की है जिससे यह पता चलता है कि दोनो योजनाएँ अलग–अलग है।

जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से उक्त योजनाओं के अर्न्तगत कार्य किये जाने का पता चलता है। परन्तु उक्त योजनायें कच्चे कार्य अर्थात् मिट्टी कार्य से संबंधित है। नहर की उड़ाही कार्य हुए पॉच से अधिक वर्ष बीत चुके है। कार्य स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आवासीय परिसर आदि का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है। उक्त स्थल का उपयोग ग्रामीण अपने जीवनोपयोगी कार्यो के लिए कर रहे है।

शिकायतकर्त्ता उक्त गॉव के स्थायी एवं प्रबुद्ध निवासी है। उक्त कार्य के क्रियान्यवन के समय भी इसकी जानकारी दी जा सकती थी। कच्चे कार्य (मिट्टी कार्य) से निष्पादित हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद इसका स्पष्ट आकलन करना सही प्रतीत नहीं होता है।

हस्ताक्षर

12/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 250 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपिः श्री सूर्यदेव राय, ग्राम– शहजादपुर, पो0–इसमाइलपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

12/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 250 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

12/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 250 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

12/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।